न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 69/21 GCMS NO 2021/95

1. केशूलाल
2. कमल
3. महेश
4. मदन पुत्रान रामेहत
5. बादामी पत्नि केशूलाल
6. गंगासहाय पुत्र केशूलाल
7. गुडडू पुत्र केशूलाल
8. प्रीतम पुत्र केशूलाल
9. लच्छो पत्नि मदन
10. गुडडी पत्नि महेश
11. गीता पत्नि कमल जातियान बैरवा निवासीयान बाढ भूदर तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. काडू पुत्र कज्जू जाति बैरवा निवासी गढी सुमेल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 18/15 निर्णय व डिकी दिनांक 25.4.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री अशफाक अहमद

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु बंसल

दिनांक 12.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 25.4.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादी काडू द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 3/1 रकबा 14 विस्वा, ख0न0 29/1 रकबा 12 विस्वा, ख0न0 110 रकबा 15 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 1 विस्वा वाके ग्राम बाढ भूदर तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी की आराजीयात है। जिसमे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। दिनांक 11.6.15 को लठठ के जोर पर वादी की आराजीयात को प्रतिवादीगण ने जोत डाला है। वादी के मना करने पर जान से मारने पर उतारू हो गये। प्रतिवादीगण [illegible] को एलानियां धमकी दी गई की इस आराजीयात को जोतने नही [illegible] कमाई का एक मात्र जरिया कृषि है। अतः वादी को अपनी खातेदारी की [illegible] से कब्जा प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हटवाया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट /प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे को लेश मात्र भी फेसले से पूर्व विचार नही किया गया। अपीलांट द्वारा जबाब दावे मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि रेस्पो/वादी काडू 40 साल से मय गृहस्थी ग्राम बाढ भूदर को छोडकर गढी सुमेल मे रहता है तथा वही अपना रिहायशी मकान बना रखा है। काश्त हेतु जमीन खरीद ली है। समस्त सरकारी कागज मे गढी सुमेल के बनवा लिये है। काडू की मौजूदा विवादित भूमि एवं गांव मे कोई हित बाकी नही रह गया है। वादी/रेस्पो0 काडू ने अपनी घरेलू आवश्यकता हेतु अपीलांट से दो लाख पांच हजार रूपये लिये तथा विवादित आराजीयात पर कब्जा संभला दिया तथा सबूत के तौर पर 100/–रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 23.10.2010 को लिखा पढी कर स्वयं की निशानी की तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर कराये। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को फैसला करने मे कानूनी भूल की है। चूकि मात्र खातेदारी के आधार पर दावा डिक्री नही किया जा सकता जबकि रेस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा ही नही है। तनकी संख्या 2 का निर्णय भी गलत किया गया है क्योकि सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 53 (ए) के तहत 100/–रूपये का स्टाम्प बतौर ढाल कानूनन इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसकी फोटो प्रति अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। रेस्पो/वादी ने एक झूठा मुकदमा 420,467,468,471,120 बी का थाना कुडगांव पर दर्ज करा दिया था जिसमे उसल दस्तावेज पुलिस के मांगने पर देना पडा तथा पुलिस ने उक्त दस्तावेज बाबत फिगंर प्रिन्ट एक्सपर्ट से ओपीनियन भी की थी इस कारण असल दस्तावेज पेश नही किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो को प्रस्तुत करने का मौका ही नही दिया गया। तनकी संख्या 3 का निर्णय भी तनकी संख्या 2 के विवेचन के आधार पर गलत रूप से किया गया है। अपीलांट का कब्जा गैर मानकर कानूनी भूल की है। क्योकि 100/–रूपये के स्टाम्प पर लिखी तहरीर से अपीलांट का कब्जा कानून की रूह मे माना होता है तथा टी.पी.एक्ट की धारा 53 ए के तहत अपीलांट अपना कब्जा सुरक्षित कराने के अधिकारी है। तनकी [illegible] न्यायालय द्वारा बिना फाईण्डिग के करने ने कानूनी भूल की है। तहरीर जो [illegible] के स्टाम्प पर थी उसे साबित करने का मौका अपीलांट को नही [illegible] का निर्णय अपीलांट के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] कि 100/–रूपये से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

...क की सम्पति का रजिस्टर्ड होना कानूनी आवश्यक है। ऐसी सूरत मे तनकी न0 5 का निर्णय निरस्त योग्य है। तनकी संख्या 6 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व किया गया है। वादी/रेस्पो0द्वारा अपीलांट के विरूद्व पुलिस थाना कुडगांव मे दर्ज किये गये मुकदमे मे माननीन अतिरिक्त न्यायाधीश करौली द्वारा दिनांक 1.10.21 को अपीलांट को बाईज्जत बरी किया गया है जिसमे विवादित स्टाम्प दिनांक 23.10.10 को फर्जी एवं कुटरचित नही माना है। स्टाम्प को बैध माना गया है। अपीलांट के मजदूरी हेतु दिल्ली चले जाने एवं कोरोना वाइरस के फैलने के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की जानकारी नही हो सकी। इस कारण न्यायहित मे देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाई जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे अवगत कराया कि रेस्पो/वादी विवादित आराजीयात का सेपरेट खातेदार काश्तकार व्यक्ति है। रेस्पो/वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई स्टाम्प पर लिखा पढी नही की गई है यदि लिखा पढी की जाती तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था। वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र धारा 183 व 188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया गया। क्योकि विवादित आराजीयात पर लठठ के जोर से अपीलांट ने कब्जा किया हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे तनकीयात कायम की गई। प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्राप्त की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण विवेचन विश्लेषण करने के पश्चात ही निर्णय व डिकी पारित की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित भूमि बाबत एक तहरीर 100/—रूपये के स्टाम्प पर 2 लाख 5 हजार रूपये की लिखी गई है। जो एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। जो साक्ष्य मे ग्रहण नही किये जो सकते है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर एवं कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। ऐसी लिखावट के आधार पर संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के आधार पर खोतदारी दिये जाने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिकी जारी की गई है वह विधि के अनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात पर कब्जा अपीलांट/प्रतिवादीगण का होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 द्वारा धारा 183 आर टी एक्ट के तहत पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद मे उभयपक्ष साक्ष्य सबुत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजीयात मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2068—71 एवं 2072 से 2075 मे वादी/रेस्पो0 विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है । उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी/अपीलांट का कोई हिस्सा दर्ज नही है। अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हिस्सा दर्ज रिकार्ड नही है। दान/वसीयत/हक त्याग/बेचान/डिकी आदि कानून मान्य दस्तावेज के आधार पर भी किसी व्यक्ति का किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

भूमि पर कब्जा लेने का अधिकारी होता है। प्रतिवादीगण का कब्जा गैर कानूनी माना गया है। अपीलांट 100/–रूपये के स्टाम्प एवं कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है जबकि कानूनन अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। ऐसी लिखावट के आधार पर संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के आधार पर खातेदारी दिये जाने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मुकदमा न0 18/15 उनवानी काडू बनाम केशूलाल वगै0 निर्णय व डिकी दिनांक 25.4.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner